

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:- 6ए0/प्राक्क01-1313/2023-
सेवा में,

1589

पटना-15, दिनांक:- 22.9.25

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा में पूर्व से निर्मित चण्डी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत योजना से आच्छादित ग्राम पंचायत चण्डी के वार्ड संख्या-01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 यानि कुल 06 वार्डों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु 182.209 लाख रुपये (एक करोड़ बेरासी लाख बीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र के योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश - मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा में पूर्व से निर्मित चण्डी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत योजना से आच्छादित ग्राम पंचायत चण्डी के वार्ड संख्या-01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 यानि कुल 06 वार्डों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु 182.209 लाख रुपये (एक करोड़ बेरासी लाख बीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र के योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत विभागीय पत्रांक-6ए0/प्राक्क01-11290/2018-705, दिनांक-25.02.2019 की कंडिका-2 की तालिका के क्रमांक-01 पर चण्डी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 133.640 लाख रुपये पर प्रदान की गयी है। इस योजना से आच्छादित प्रखण्ड-चण्डी के ग्राम पंचायत-चण्डी के वार्ड संख्या-01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 यानि कुल 06 वार्डों के सभी घरों को टैप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मूल स्वीकृत योजना के तहत प्रावधानित अवयवों के 01 अदद 15H.P क्षमता के अतिरिक्त मोटर पम्प एवं 02 अदद अतिरिक्त क्लोरीनेटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन, सड़क की कटाई एवं पुर्ननिर्माण, पूर्व से निर्मित 40000 गैलन क्षमता के जलमीनार एवं पम्प गृह की मरम्मत का कार्य, कैम्पस में मिट्टी भराई का कार्य, 15मी0 अतिरिक्त पहुँच पथ का निर्माण कार्य, पम्प गृह में विद्युत संयोजन का कार्य, 2.4 मी0 ऊँचाई के 55 मी0 अतिरिक्त चाहरदिवारी का निर्माण कार्य, विभिन्न व्यास के 1900मी0 HDPE Pipe बिछाकर 225 अदद नये गृह जल संयोजन का कार्य एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु कार्य सम्पादित किया जाना है, जिस पर कुल व्यय 182.209 लाख रुपये (एक करोड़ बेरासी लाख बीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र संभावित है।

3. इस योजना के निर्माण मद पर होने वाला व्यय बजट का (II) मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0106-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड-36-2215011020106 विषय शीर्ष-0106.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण (III) मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0104-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड-36-2215017890104-विषय शीर्ष-0104.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण (IV) मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड-36-2215017960105-विषय शीर्ष-0105.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा तथा (V) योजना के संचालन एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2215 जल पूर्ति तथा सफाई, उप शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, उप शीर्ष-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव-सात निश्चय-2-विपत्र कोड-36-2215011020107-विषय शीर्ष-0107.27.02 अनुदक्षण एवं मरम्मत कार्य मद अंतर्गत भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी हिलसा कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

5. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

6. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

7. जिन मदों में 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उन मदों के लिए SoR दर एवं एकरारनामा की दर में से जो दर कम होगा, वहीं दर अतिरिक्त मात्रा (प्राधानित मात्रा से 20 प्रतिशत ज्यादा पर) के भुगतान हेतु मान्य होगा।

8. जिन मदों में बढ़ोतरी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, उन मदों की 50 प्रतिशत से अतिरिक्त मात्रा का भुगतान संबंधित अधीक्षण अभियंता के भौतिक सत्यापन एवं विशिष्ट भुगतान आदेश के बाद ही किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता अतिरिक्त मात्रा के 50 प्रतिशत तक का ही भुगतान अपने स्तर से करेंगे।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. वर्ष 2025-26 के वार्षिक योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इस पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक- 6ए/प्राक्क01-1313/2023- 1589 पटना-15, दिनांक:- 22.9.25

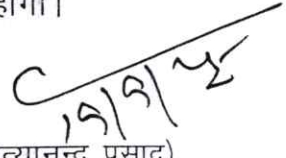
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, नालंदा /कोषागार पदाधिकारी, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियन्ता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो02)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-02 एवं 03/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/कार्यवाह सहायक, प्रशाखा-6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना, प्रक्षेत्र-पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यपालक अभियन्ता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियन्ता की होगी।

5. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)